कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,

23 एलनगंज, इलाहाबाद, पिन कोड : 211002
दूरभाष सं0/फैक्स नं0:– 0532 2466761, 0532 2466769
e-mail id : secretarypnp.up@gmail .com

पत्रांकः नि0शि0सं0/सम्बद्धता 15–16/ 4102 — 77/2015–16 दिनांक 29 सितम्बर, 2015

सत्र 2015–16 से डी0एल0एड0/डी0पी0एस0ई0 (बी0टी0सी0/एन0टी0टी0) सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र आमत्रिंत करने हेतु

संशोधित विज्ञप्ति

इस कार्यालय के पत्रांकःनिशिसं0/सम्बद्धता 15–16/1446–47/2015–16 दिनांक 25.06.2015 के अनुसार दिनांक 26.06.2015 को प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन पत्र प्राप्त कराने की अन्तिम तिथि 28.07. 2015 थी, इस अन्तिम तिथि के बाद भी एन0सी0टी0ई0 द्वारा कतिपय संस्थाओं को मान्यता आदेश जारी किये गये हैं। अनु सचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ के शासनादेश संख्या 1333/15–11–2015 दिनांक 28.09.2015 के द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है कि ऐसे संस्थान जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से सत्र 2015–16 में सम्बद्धता हेतु इच्छुक हैं, वे वेबसाइट http://examregulatoryauthorityup.in से विवरणिका सहित आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर एवं आवेदन पत्र पूर्ण कर शासनादेश सं0–85/15–11–2010 दिनांक 18.01.2010 एवं संशोधित शासनादेश सं0 1454/15–11–2014 दिनांक 30.09.2014 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को ***तीन प्रतियों में दिनांक 10.10. 2015 की सांय 5:00 बजे तक*** उपलब्ध करा सकते हैं।

आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रूपये 50000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) तथा आवेदन शुल्क रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पदनाम से देय होगा, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु शासनादेश, विवरणिका एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट http://examregulatoryauthorityup.in पर उपलब्ध रहेगा।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0सं0: नि0शि0सं0/सम्बद्धता 15–16/4102 — 77 /2015–16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–II,एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर–302005 (राजस्थान)

29.9.15

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।